

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 3322
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 18TH DECEMBER, 2015
27, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)**

UNDISCLOSED FOREIGN ASSETS

**SHRI MANSHANKAR NINAMA:
SHRI PRALHAD JOSHI:
SHRI HARINDER SINGH KHALSA:
DR. KAMBHAMPATIHARIBABU:
SHRI HARISH MEENA:
SHRI P.R. SUNDARAM:
SHRI MALLIKARJUN KHARGE:
SHRIMATI RANJANBEN BHATT:
SHRI KIRTI VARDHAN SINGH:**

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Rules, 2005 notified on 2 July, 2015 had set 30 September, 2015 as the final date for persons to make declarations in respect of an undisclosed assets located outside India and 31 December, 2015 as the date for payment of tax and penalty;
- (b) if so, the number and the amount of assets declared along with the amount of tax and penalty received by the Government under the scheme;
- (c) whether the number and amount of assets declared, tax and penalty received by the Government is far lower than those compared to earlier voluntary disclosure schemes and if so, the details thereof along with the reasons therefor; and
- (d) whether the Government proposes another Voluntary Disclosure for bringing black money from abroad, if so, details thereof and the steps taken in this regard?

**ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JAYANT SINHA)**

- (a) Central Government, vide notification no 57/2015, notified 30th September, 2015 as the date on or before which a person may make a declaration in respect of an

undisclosed foreign asset, and 31st December, 2015 as the date on or before which a declarant has to pay the tax and penalty in respect of the undisclosed foreign asset so declared.

- (b) A total of 644 declarations involving net value of undisclosed foreign assets worth Rs.4164 crores (including declarations that were posted before 30th September, 2015 and received after 30th September, 2015) have been filed under one time compliance window. Tax and penalty of Rs.393 crores has been received till 14-12-2015. The last date for payment of tax and penalty in respect of declared assets is 31st December, 2015.
- (c) The one time compliance window under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (the Act) was not an amnesty scheme as no immunity from penalty was offered. It was merely an opportunity for persons to comply with the law before the stringent provisions of the new act take full effect. The window was open only in respect of undisclosed foreign assets and not to income (either foreign or domestic) assets.
- (d) At present there is no such proposal.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3322

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2015/27 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

अघोषित विदेशी परिसंपत्तियां

3322. श्री मानशंकर निनामा:

श्री प्रहलाद जोशी:

श्री हरिंदर सिंह खालसा:

डॉ.कंभमपति हरिबाबू:

श्री हरीश मीना:

श्री पी.आर. सुन्दरम:

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा कर नियमों का अधिरोपण, 2005 जिसे 2 जुलाई, 2015 को अधिसूचित किया गया था, द्वारा व्यक्तियों को भारत के बाहर स्थित अघोषित परिसंपत्तियों की घोषणा करने के संबंध में 30 सितम्बर, 2015 को अंतिम तारीख निर्धारित किया गया था तथा इसने कर और शास्ति के भुगतान के लिए 31 दिसम्बर, 2015 की तारीख को निर्धारित किया है;
- (ख) यदि हां, तो संख्या कितनी है एवं घोषित परिसंपत्ति कितने धनराशि की है तथा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त कर और शास्ति का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या घोषित संख्या और परिसम्पत्ति की राशि का और सरकार द्वारा प्राप्त शास्ति पूर्व के स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना की तुलना में बहुत कम है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या सरकार का विचार विदेशों से काला धन लाने के लिए एक और स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना शुरू करने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

- (क) केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं.57/2015 के अंतर्गत, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया जिसको अथवा जिसके पूर्व कोई व्यक्ति अघोषित विदेशी

परिसंपत्ति के संबंध में घोषणा कर सकता है और 31 दिसम्बर, 2015 को उस तारीख के रूप में घोषित किया जिसको अथवा जिसके पूर्व किसी घोषणाकर्ता को इस प्रकार घोषित की गई अघोषित विदेशी परिसंपत्ति के संबंध में कर और शास्ति का भुगतान करना होता है।

(ख) एक वारगी अनुपालना विंडों के अंतर्गत 4164 करोड़ रुपये के मूल्य की अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों की कुल 664 घोषणाएं, (इनमें वे घोषणाएं भी शामिल हैं जिनको 30 सितम्बर, 2015 से पूर्व भेजा गया था लेकिन वे 30 सितम्बर, 2015 के बाद प्राप्त हुई थी) दायर की गई है। दिनांक 14.12.2015 तक 393 करोड़ रुपये का, कर और शास्ति प्राप्त हुआ है। घोषित परिसंपत्तियों के संबंध में कर और शास्ति के भुगतान के अंतिम तारीख 31 दिसम्बर, 2015 है।

(ग) काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (अधिनियम) के अंतर्गत कर वारगी अनुपालना विंडों एक क्षमा योजना नहीं थी क्योंकि शास्ति से मुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं था। यह केवल व्यक्तियों के लिए अवसर था कि वे अधिनियम के कड़े प्रावधान लागू होने से पूर्व कानून की अनुपालना कर ले। यह विंडों केवल अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों के संबंध में खुली थी और न कि आय और घरेलू परिसंपत्तियों के संबंध में।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
